

2026/289

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

पुष्पेन्द्र सिहाग

बनाम

बलराम सिहाग आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 154 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
01.04.2026	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10.04.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">or</p>	
04.04.2026	<p>वकील सुधी वती ने आवना - का मिक्कल फेदी पेश करने पर प्रभावनी के फेदी में लिखा गया। वकुलार फरिडेन उपस्थित परीची क.हाप ने जजिरे वकील हासन कुमर उपस्थित कार्क के शकाल दाका पेश किया। जेरे शामिल फरिल किया। प्रभावनी पहले से जजिरे आईन्दा तारीख 10.4.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">or</p>	<p><i>(Signature)</i></p> <p>Poonam</p> <p>scriiter</p> <p>शुभन</p>
10.4.2026	<p>वकुलार फरिडेन उपस्थित। जजिरे से उत्तर हुआ। वकुलार फरिडेन की वरस सुनी गई। पत्रावली का सबलेखन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट व सहमति के आधार पर वाद रिज्की किया जा रहा है। वकील हासन सहित निर्णय दायर है लिखाया आर (शामिल फरिल किया जाके। पत्रावली भर से कम की आव - शामिल दस्तावेज)</p> <p style="text-align: center;">or</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

